LOK SABHA

Thursday, March 11, 1965/Phalguna 20, 1886 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिजली के मीटरों के लिये नकद जमानत

\+

*380. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री सू० ला० वर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बृजराज सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हेमराज :
श्री रामानन्द शास्त्री :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री उटिया :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री जेधे :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री बड़े :

श्री माने :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री शिव नारायण :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री प० ह० भील :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री यु० द० सिंह :
श्री लहरी सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के बिजली के मीटर की सरकारी जमानत रद्द करके उनसे नकद जमानत जमा कराने के नोटिस दे दिये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(ग) ऐसे नोटिस देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नोटिसों में यह दिया हुआ था कि यदि 24 फरवरी, 1965 तक नकद जमानत जमा नहीं कराई तो उनके मीटर काट दिये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम ने सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले गजटेड अधिकारियों से, जिनके सम्बन्ध में राजकोष

से बिजली का खर्च नहीं काटा जा सकता, कहा है कि वे बिजली के उन कनेक्शनों के लिये नकद जमानत जमा करें जो कि उनको 26 नवम्बर, 1964 से पहले दिये गये थे। 26 नवम्बर, 1964 के पश्चात सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले गजटेड अधिकारियों को कनेक्शन निर्धारित स्केल में नकद जमानत जमा करने पर दिये जा रहे हैं। यह उन गजटेड अधिकारियों को लागू नहीं होता जो कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और छावनी के क्षेत्रों में रहते हैं।

(ख) प्रभावित अधिकारियों की कुल संख्या लगभग 4500 है।

(ग) नकद जमानत न लेने पर, दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम ने यह देखा कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्वार्टरों को, स्थानान्तरण पर अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्वार्टर बदले जाने पर, खाली किया, किन्तु उपक्रम को बिजली की सप्लाई बन्द करने के लिये नहीं कहा। उनमें से बहुत तो अपनी आखिरी अदायगी किये बिना ही क्वार्टर छोड़ गये और परिणामस्वरूप उपक्रम को पैसे वसूल करने में बहुत कठिनाई हुई। और भी, जब एक अधिकारी, दूसरे अधिकारी द्वारा खाली किये गये मकान पर कब्जा करता था, तो नया अलाटी पुराने अलाटी के नाम पर रजिस्टर हुए कनेक्शन से बिजली का प्रयोग करता जाता था और बिल की अदायगी के बारे में झगड़े खड़े हो जाते थे, जो कि काफी देर तक चलते रहते थे।

(घ) नोटिस देने के 15 दिन के बाद बिजली की सप्लाई का कनेक्शन काटा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन नहीं काटा गया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली के अन्दर भिन्न-भिन्न भागों में अलग अलग ढंग से पैसे लिये जाते हैं और हर भाग के अन्दर अलग अलग इसके नियम हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : दिल्ली में एक तो दिल्ली एलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग का एरिया है और एक एन० डी० एम० सी० का एरिया है। यह बात सही है कि दोनों क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पैसे लिये जाते हैं। चूंकि दिल्ली एलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग को कुछ दिक्कत है इस लिये उन्होंने ऐसा नियम बनाया है। एन० डी० एम० सी० में चूंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसलिये वह दूसरे ढंग से ले रहे हैं। अगर इनको दिक्कत आयेगी तो वह भी ऐसा ही नियम रक्खेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : दिल्ली में जितने भी मीटर लगाये जाते हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा न होने के कारण प्रति वर्ष उनकी चोरी होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि एक साल में कितने मीटर चोरी जाते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : चोरी होना कोई खास दिल्ली की बात नहीं है। चोरी हर जगह होती है। कितनी चोरियां हुई, यह तो मैं नोटिस मिलने पर ही बतला सकता हूं।

श्री अ० सि० सहगल : जो नई स्कीम बनाई गई है उसे लागू करने में आपको कितना समय लगेगा, ताकि सब जगह बराबर रेटस हो जायें।

श्री श्यामधर मिश्र : यहां पर रेट्स का कोई सवाल नहीं है। यह मोटरों का सवाल है। दिल्ली एलेक्ट्रिक सप्लाई

अंडरटेकिंग एरिया में गजेटेड आफिसर्स से सरकार की गारेन्टी के बजाय मीटर का पैसा देने को कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : दिल्ली में अब क्या विशेष बात पैदा हो गई है जिसके कारण सरकारी जमानत रद्द की जा रही है, और नकद पैसा लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब स्टेटमेंट में समझाया गया है। आपने स्टेटमेंट को देखा नहीं है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि जिनसे 25 फरवरी, 1965 तक जमानत का पैसा मांगा गया था और उन्होंने उसे जमा नहीं किया ऐसे कितने लोगों के मीटर अब तक काटे गये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : अभी कोई मीटर काटा नहीं गया है। अभी केवल नोटिस दी गई है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : तो क्या जमानत जमा कराने की तारीख बढ़ाई जायेगी।

श्री श्यामधर मिश्र : इसकी तारीख बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है। जब फिर से नोटिस दिया जायेगा तो यह लागू हो जायेगा।

श्री यु० सिं० चौधरी : मैं इस प्रश्न के मूल में न जाता हुआ यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि इस निर्णय से पूर्व सरकारी कर्मचारियों से बिजली के बारे में कोई सिक्योरिटी जमा नहीं कराई जाती थी।

अध्यक्ष महोदय : यह सब स्टेटमेंट में दिया गया है।

श्री यु० सिं० चौधरी : अब से पहले क्यों नहीं ली जाती थी।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अब क्यों ली जाती है।

श्री यु० सिं० चौधरी : स्टेटमेंट हमें मिला ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मैं पता कर लेता हूं कि क्यों नहीं मिला। जिन्होंने मांगा होगा उन्हें जरूर मिला होगा।

श्री यशपाल सिंह : अभी लाखों कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको पर्सनल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। तो सरकार का इससे क्या नुक्सान हो रहा था। जैसे इस वक्त लाखों लोग ले रहे हैं उसी तरह से अगर इन कर्मचारियों को भी इससे एग्जेम्पट कर दिया जाता तो क्या नुक्सान था सरकार का।

अध्यक्ष महोदय : यह सभी बातें स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं।

श्री यशपाल सिंह : इसमें डिटेल्स नहीं हैं।

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): In the DESU area, there are 2,75,000 consumers, and out of that number, cash security is being demanded from the Gazetted government officers residing in the Government quarters, who number about 4,500.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether Government are thinking of finding out some *via media* so as to enable the very-low-paid Government servants to pay the amounts which are sometimes very big?

Dr. K. L. Rao: In the case of the non-gazetted Government servants, there is no cash security. The guarantee is given by the Government Department.

Shrimati Savitri Nigam: My question has not been answered.

Mr. Speaker: The hon. Minister has said that this requirement does not apply to that category.

Shrimati Savitri Nigam: I wanted to know whether the arrears which amount to big sums would be allowed to be paid in instalments?

Mr. Speaker: Let the arrears remain. That is a different question altogether.

Houses for Industrial Workers

+

381. { Shrimati Savitri Nigam:
Shri J. B. Singh:
Shrimati Renu Chakravartty:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the proposal to bring forth legislation to make it obligatory on the part of the employers to build houses for industrial workers has been finalised; and

(b) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). The question of making it obligatory on the part of employers to build houses for Industrial workers was considered in the Housing Ministers' Conference held at Chandigarh on the 29th and 30th December, 1964. The Conference has recommended that for the time-being additional facilities like grant of 100 per cent financial assistance under the Subsidised Industrial Housing Scheme, relief in income-tax, allotment of land at cost price and release of controlled building materials for workers' housing, may be given to industrial employers, with a view to encouraging them to provide houses in large numbers for their workers. The Conference has also recommended that if despite these additional facilities the employers' response continues to be unsatisfactory, then the Government might consider the question of enacting suitable legislation for making it obligatory for the employers to provide housing for a certain percentage of their workers. These recommendations are under consideration.

Shrimati Savitri Nigam: Have the various departments of Government already taken as cue from these suggestions and formulated adequate plans to house all the government servants?

Shri Mehr Chand Khanna: I am sorry the question is not clear to me.

Mr. Speaker: The question is whether Government as an employer has implemented this recommendation and provided houses for its employees.

Shri Mehr Chand Khanna: This ques-question only relates to private employers. So far as government construction under the public sector is concerned, the scheme provides for the construction of houses up to a certain limit. As far as the private employers are concerned, as I have stated many times before in the House, we are not receiving enough encouraging response from them in the matter of construction of houses for their workers.

Shrimati Savitri Nigam: First of all, my first question has not been clearly answered. There are many industries under the public sector. Has the hon. Minister taken care to see that people employed in these public undertakings have been given this facility of housing and other facilities which he has recommended to the private employers or not? That was my question.

Shri Mehr Chand Khanna: As regards public undertakings under the charge of my Ministry, I have taken adequate care and precaution, and am at one with the questioner, that we should do everything possible for them.

Shrimati Savitri Nigam: My second question is. . . .

Mr. Speaker: No. Madam, Shri Oza.

Shri Oza: Has Government any information about the percentage of employees already getting residential accommodation? Also, what is the percentage contemplated by the Works and Housing Ministry to be provided by the employers?